फर्द अहकाम

हरेन्द्र सिंह बनाम कानाराम

न न्यायालय AC-II

स संख्या प्रा.पत्र TI No. - 88/2022

म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/01/23	मूलवाद में प्रार्थी पक्ष की ओर से शीघ्र सुनवाई प्रा.पत्र पेश किए जाने पर पक्षकारों मूलवाद के साथ आप पेशी पर ली गई। मूलवाद में प्रार्थी/वादी द्वारा प्रा.पत्र विशेष पेश किए जाने पर विज्ञ प्रा.पत्र बीकार कर मूलवाद को विज्ञ रूप से खारिज कर निर्णित किया जा चुका है। जब मूलवाद ही निर्णित हो चुका है तो प्रा.पत्र टी.आई. को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र टी.आई. भी खारिज किया जाता है। पक्षावली फैसल शुमार रजिस्टर को नेगेटिव कम बोर्ड पर फैसल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27/01/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय